

प्रथम नियुक्ति के समय से अब तक चल-अचल सम्पत्ति विवरण वर्ष (31.12.2017)

101-565

1. अधिकारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो :- ऐश्वर्य शास्त्री म0प्र0 पुलिस
2. प्रथम नियुक्ति दिनांक/ वर्तमान धारित पद:- उप पुलिस अधीक्षक धार जिला धार
3. जन्म तिथि:- 19.01.1959
4. वर्तमान वेतन:- 5400-22030

अगली वेतन वृद्धि की तारीख:- दिनांक 01 जुलाई 2018

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थिति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया..... खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिसमें अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
जिला शाजापुर तहसील शुजालपुर ग्राम मगोर	-	23 बीघा कृषि भूमि सिंचित	12 लाख लगभग	स्वयं के तथा बड़ें भाई 01. डॉ. एम0पी0शास्त्री, 02. डॉ. पुरुषोत्तम शास्त्री, 03. डॉ. मनोहर शास्त्री हिन्दु संयुक्त परिवार में मेरे पिता द्वारा मेरे सेवा में आने के पूर्व क्रय की गई।	हिन्दु संयुक्त परिवार में मेरे पिता द्वारा मेरे सेवा में आने के पूर्व क्रय की गई।	150,000/रु	
जिला शाजापुर तहसील शुजालपुर ग्राम किसौनी	एक सिनेमा घर	-	ज्ञात नहीं	स्वयं के तथा बड़ें भाई के पुत्र, 01. कृष्णा कुमार पिता डॉ. एम0पी0 पुरुषोत्तम शास्त्री सगे भाई की पत्नि, 02	हिन्दु संयुक्त परिवार में मेरे पिता द्वारा मेरे सेवा में आने के पूर्व क्रय की गई।	सिनेमाघर वर्तमान में बन्द है।	


				निर्मला पति डॉ. पुरुषोत्तम शास्त्री, 03. कृष्णा पति डॉ. मनोहर शास्त्री, हिन्दु संयुक्त परिवार में स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर से 05 लाख ऋण व कृषि आय से मैने सेवा में आने के पूर्व कय किया गया ।			
इन्दौर स्कीम न. 74-सी	रहवासी मकान 30x50 स्केयर फिट	-	लगभग 40 लाख	स्वयं के नाम पर ।	दिनांक 23.12.2000 आदेश क.अ.वि. स्था / 2014 / ए. / 2000 दिनांक 23.12.2000 एवं आदेश क्रमांक अ.अ.वि. / स्था. / 2 / 481 / 2001 दिनांक 30.06.2001	240000 / रु	

1. जहाँ लागू न हो उसे काट दीजिए
2. ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए ।
3. उसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है ।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक(आचरण) नियम 1959 के नियम 18(3) के

अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह माह की अवधि के पश्चात यह घोषणा

पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके किसी परिवार के सदस्य के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्योरे दें ।


 (ऐश्वर्य शास्त्री) 03/18
 नगर पुलिस अधीक्षक धार
 जिला धार (म0प्र0)